[2018] 12 एस.सी.आर. 350

रीमा सालकन

बनाम

सुमेर सिंह सालकान

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1220)

25 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम खानविलकर और
डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.125 - धारा के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम भरण-पोषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने अपीलकर्ता-पत्नी को 1 नवंबर 2014 से शुरू होने वाले अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 20,000/- रुपये प्रति माह दिए! - हालाँकि, फैमिली कोर्ट ने अंतिम भरण-पोषण राशि रु. 10,000/- प्रति माह तय की। 17 जुलाई 2003 से 8 दिसंबर 2010 तक - 8 दिसंबर 2010 से कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया गया - अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को 9 से 9,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। " दिसंबर 2010 से - माना गया: फैमिली कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को बनाए रखने की उपेक्षा की - तथ्य की ऐसी खोज को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है - दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से पाया है कि, कानून में, प्रतिवादी अपीलकर्ता को बनाए रखने के लिए बाध्य था अपीलकर्ता - हालाँकि, दिल्ली में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार प्रतिवादी की काल्पनिक न्यूनतम आय के आधार पर मासिक रखरखाव राशि के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया सिद्धांत अस्थिर है - प्रतिवादी और उसके परिवार के जीवन स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए , वर्ष 2003 में दायर भरण-पोषण याचिका के निपटारे को 2015 तक सफलतापूर्वक खींचने में उनका पिछला आचरण; इस तथ्य के साथ कि उसके द्वारा एक फर्जी और निराधार दलील दी गई थी कि वह 2010 से बेरोजगार था, इस तथ्य के बावजूद कि वह अत्यधिक योग्य और सक्षम व्यक्ति है; वर्ष 2010 में कनाडा में काम करते समय उनकी मासिक आय 1,77,364/- रुपये से अधिक थी - समय की इस दूरी पर, बढ़ती मुद्रास्फीति दर और जीवनयापन सूचकांक की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रतिवादी जनवरी 2010 से अपीलकर्ता को 20,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करेगा और 1 जून, 2018 से अगले आदेश

तक 25,000/- रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करेगा - उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को संशोधित किया गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 फैमिली कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि प्रतिवादी ने 28 जनवरी, 2015 के अपने फैसले में दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के लिए अपीलकर्ता को बनाए रखने की उपेक्षा की। तथ्य की उस खोज को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। फैमिली कोर्ट ने भी पाया है तथ्य यह है कि अपीलकर्ता बेरोजगार थी, हालांकि वह अंग्रेजी में एमए है और पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखती है और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित लॉ ग्रेजुएट भी है। उच्च न्यायालय ने दर्ज किए गए उस निष्कर्ष को परेशान नहीं किया है पारिवारिक न्यायालय द्वारा। परिणामस्वरूप, दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से पाया है कि, कानून में, प्रतिवादी अपीलकर्ता का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य था। [पैरा 9]
1.2 16 जुलाई, 2003 को अपीलकर्ता द्वारा दायर रखरखाव आवेदन की लंबितता के दौरान, प्रतिवादी के पिता ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिसका अपीलकर्ता के अनुसार, आदेश के निष्पादन से प्रतिवादी की पारिवारिक संपत्ति की कुर्की को रोकना था। भरण-पोषण की कार्यवाही में उसके पक्ष में पारित किया गया। प्रतिवादी के पिता द्वारा दायर घोषणा के मुकदमे को पूर्ण सुनवाई के बाद 30 अगस्त, 2003 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अंतरिम भरण-पोषण मामले में भूमि/पारिवारिक संपत्ति की कुर्की को रोकने के लिए, उन्होंने मुकदमे की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर, 2004 को पारित निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद, जो प्रतिवादी के खिलाफ चल रहा था, उसने कनाडा में अदालतों का दरवाजा खटखटाया और कथित तौर पर रखरखाव राशि का भुगतान करने के दायित्व से बचने के लिए एक पक्षीय तलाक प्राप्त किया और गोद भी लिया। विषय रखरखाव कार्यवाही की प्रगति में देरी की रणनीति। [पैरा 12]

1.3 उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा और अपीलकर्ता को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने में असमर्थता के बारे में प्रतिवादी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अच्छी तरह से शिक्षित था [बी.कॉम, एम.ए (अर्थशास्त्र) और यूएसए से एमबीए] और एक सक्षम व्यक्ति. इसलिए, प्रतिवादी के लिए यह खुला नहीं था कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त हो जाए। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अप्राप्य है। [पैरा 13]

1.4 दिल्ली में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार प्रतिवादी की अनुमानित न्यूनतम आय के आधार पर अपीलकर्ता को देय मासिक रखरखाव राशि के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया सिद्धांत अस्थिर है। प्रतिवादी और उसके परिवार के जीवन स्तर, वर्ष 2003 में दायर भरण-पोषण याचिका के निपटारे को 2015 तक सफलतापूर्वक चलाने में उसके पिछले आचरण का ध्यान रखा जाना चाहिए; इस तथ्य के साथ कि उसके द्वारा एक फर्जी और निराधार दलील दी गई थी कि वह 2010 से बेरोजगार है, इस तथ्य के बावजूद कि वह अत्यधिक योग्य और सक्षम व्यक्ति है; वर्ष 2010 में कनाडा में काम करते समय उनकी मासिक आय 1,77,364/- रुपये से अधिक थी; और सुप्रीम कोर्ट ने पहले की आपराधिक अपील (जहां अंतरिम भरण-पोषण का मुद्दा था) में प्रथम दृष्टया पाया था कि यदि अपीलकर्ता को 1 नवंबर से प्रति माह 20,000/- रुपये का अंतरिम भरण-पोषण दिया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 2014. समय की इस दूरी पर, आज बढ़ती मुद्रास्फीति दर और जीवनयापन सूचकांक की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रतिवादी को अपीलकर्ता को प्रति माह 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। रखरखाव राशि जनवरी 2010 से प्रभावी और 1° जून, 2018 से अगले आदेश तक 25,000/- रुपये प्रति माह की दर से। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को तदनुसार उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया गया है। [पैरा 15,16]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1220 0एफ 2018

2015 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 204 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 31.05.2018 से

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

सुश्री मालविका ,राजकोटिया, रजनीश कुमार झा, सलाहकार प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. अनुमति दी गई|

2. यह अपील 2015 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 204 में 31 मई, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी थी। अपीलकर्ता को भरण-पोषण राशि न देने की सीमित सीमा तक न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, उत्तरी रोहिणी, दिल्ली द्वारा 2014 की

याचिका संख्या 363 में पारित 28 जनवरी 2015 के निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए प्रसन्नता हुई। /पत्नी को 10® दिसंबर, 2010 से। उच्च न्यायालय ने इसके बजाय प्रतिवादी/पति को 9™ दिसंबर, 2010 से अपीलकर्ता/पत्नी को 9,000/- रुपये प्रति माह की दर से रखरखाव राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

3. पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का उतार-चढ़ाव भरा इतिहास है। अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, वर्तमान अपील के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने 24% मार्च, 2002 को इन्फैंट्री हॉस्टल, दिल्ली छावनी, दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार शादी कर ली। कनाडा का स्थायी निवासी होने के नाते, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह उसे 28 मार्च, 2002 को पर्यटक वीजा पर अपने साथ कनाडा ले जाएगा। हालांकि, शादी के तुरंत बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। प्रतिवादी, कनाडा का स्थायी निवासी होने के नाते, अपीलकर्ता को पर्यटक वीज़ा पर भी कनाडा ले जाने की कोई व्यवस्था किए बिना, जैसा कि आश्वासन दिया गया था, कनाडा लौट आया। बल्कि, उसने अपीलकर्ता को पर्यटक वीज़ा जारी करने में बाधाएँ पैदा कीं। इस संबंध में कनाडाई आव्रजन विभाग को एक लिखित आवेदन। जैसे ही अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ महिला सेल के समक्ष शिकायत दर्ज की। 16% जुलाई, 2003 को, उसने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष प्रतिवादी से प्रति माह 2 लाख रुपये के भरण-पोषण की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन भी दायर किया। ज्ञात हो कि उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम भरण-पोषण राशि तय किया गया था, जो मामला आपराधिक अपील संख्या 2347-2349/2014 के माध्यम से इस न्यायालय तक पहुंचा था, जिसे इस न्यायालय ने 28% अक्टूबर, 2014 को इस निष्कर्ष पर निपटाया था कि यदि अपीलकर्ता को न्याय दिया जाएगा तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 1 नवंबर,2014 से शुरू होने वाले अंतरिम रखरखाव के रूप में प्रति माह 20,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई। हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 28™ जनवरी, 2015 के फैसले में बताए गए कारणों से, अंतिम रखरखाव राशि 17% जुलाई, 2003 से 8 दिसंबर, 2010 तक 10,000/- रुपये प्रति माह तय की गई थी और कोई रखरखाव नहीं किया गया था। 8 दिसंबर, 2010 से प्रदान किया गया था। 2003 में दायर रखरखाव के लिए आवेदन, अंततः 28 जनवरी, 2015 को निम्नलिखित शर्तों में निपटाया गया था:

"राहत:

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका के ऊपर मुद्दे संख्या 1 पर मेरे निष्कर्ष के मद्देनजर। आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को निम्नानुसार रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है: -

1. याचिका दायर करने की तारीख से यानी 17.07.2003 से 08.12.2010 तक, रु. 10,000/- प्रति माह।

2. 08.12.2010 से याचिकाकर्ता किसी भी भरण-पोषण की हकदार नहीं है और इस संबंध में उसका दावा खारिज कर दिया जाता है।

प्रतिवादी को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर भरण-पोषण की बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा। वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण के लिए किया गया कोई भी भुगतान और पक्षों के बीच किसी अन्य कार्यवाही/मुकदमे में किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, समवर्ती अवधि के लिए भुगतान किया गया कोई भी गुजारा भत्ता, आदेश द्वारा पहले ही जमा की गई धनराशि यदि आवश्यक हो, तो सुपीरियर न्यायालयों या इस न्यायालय के पूर्ववर्ती के आदेश से, प्रतिवादी द्वारा समायोजित किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

फ़ाइल को रिकॉर्ड-रूम में भेज दिया जाए।"

4.इस निर्णय के खिलाफ, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो 2015 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 204 थी, जिसे निम्नलिखित शर्तों पर आंशिक रूप से अनुमति दी गई है:

"85. नतीजतन, दिनांक 28.01.2015 के आक्षेपित आदेश को 09.12.2010 के बाद से याचिकाकर्ता/पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण न देने की सीमा तक रद्द किया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता/पत्नी के पक्ष में 08.12.2010 तक रु. की दर से गुजारा भत्ता दिया जाएगा। 10,000/- प्रति माह बरकरार रखा गया है। प्रतिवादी को 09.12.2010 से प्रति माह 9,000/- रुपये की रखरखाव राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अत: वर्तमान पुनरीक्षण याचिका

स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील की दलीलें और प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए निर्णय कोई मदद नहीं करते हैं।

86. वर्तमान याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती है और उसका निपटारा किया जाता है।"

5. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई स्वतंत्र याचिका दायर नहीं की है, बल्कि यह अपीलकर्ता है जिसने परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रखरखाव राशि की मात्रा की शुद्धता पर सवाल उठाया है। निवेदन। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील में निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को देय मासिक रखरखाव राशि की मात्रा के संबंध में है।

6. अपीलकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को देय मासिक रखरखाव राशि का निर्धारण करते समय अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया है:

(i) आदेश दि. 28.10.2014 को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण-पोषण में कटौती और गैर-भुगतान के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर 2014 की आपराधिक अपील संख्या 2347-49 में पारित किया गया, जिसके तहत इस न्यायालय ने 20,000/- रुपये का अंतरिम भरण-पोषण दिया था, इसे कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। तब से लेकर अब तक पार्टियों की परिस्थितियों में बदलाव. बल्कि, इसे केवल अंतिम रखरखाव में ही बढ़ाया जा सकता है;

(ii) अपीलकर्ता के साक्ष्य, प्रदर्शित वित्तीय स्थिति का शपथ पत्र साबित करता है कि प्रतिवादी के पास मेरठ, यूपी में 26.50 बीघा (6.625 हेक्टेयर) कृषि भूमि सहित विशाल पूंजीगत संपत्ति है;

(iii) प्रतिवादी [संयुक्त राज्य अमेरिका से बी.कॉम, एमए (अर्थशास्त्र) और एमबीए] ने लगभग 20 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई, कनाडा में काम किया है और इसलिए यह माना जा सकता है कि वह लाभकारी रूप से कार्यरत है, यह तथ्य वह छुपा रहा है, इसके अलावा उसके पास बचत भी है। , कनाडा सरकार के निवेश, सामाजिक और चिकित्सा सुरक्षा और बीमा; और

(iv) वर्ष 2010 के लिए प्रतिवादी का अंतिम खुलासा वेतन, जिसके आधार पर मात्रा की गणना की जा सकती थी। कैड के अंतिम घोषित वेतन के अनुसार $48,372.34 प्रति वर्ष। (रु.21,28,368/- @ रु.44 प्रति कैड. के बराबर), मासिक वेतन रु.1,77,364/- आता है। भले ही आधार वर्ष यानी 2010 के वेतन में 5% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम वृद्धि जोड़ दी जाए, प्रतिवादी का मासिक वेतन 2,51,800/- रुपये होगा। प्रकटीकरण के अभाव में, वेतन में वृद्धि के लिए यह एक उचित अनुमान है। प्रति माह 50,000/- रुपये की कृषि आय जोड़ने पर, प्रतिवादी की मासिक आय 3 लाख रुपये मानी जा सकती है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही, इस अपील का विरोध करने के लिए दायर जवाबी हलफनामे के माध्यम से आग्रह किया है कि आक्षेपित निर्णय निम्नलिखित मामलों में त्रुटिपूर्ण तर्क से ग्रस्त है:

(ए) उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना के तर्क से निपटता नहीं है।

(बी) उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पारिवारिक न्यायालय को, मुकदमे के बाद, पक्षों के आचरण का निरीक्षण करने का अवसर मिला है और उसने इस पर टिप्पणी की है।

(सी) फैसले के पैराग्राफ 38 में, उच्च न्यायालय अंतरिम भरण-पोषण की राशि 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) से कम करने के तर्क को पलट नहीं देता है।

(डी) उच्च न्यायालय इस तर्क को पलट नहीं देता है कि उसने कहीं भी यह स्थापित नहीं किया है कि वह, एक वकील और एक अच्छी तरह से शिक्षित और सक्षम पेशेवर के रूप में, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

(ई) उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के परिवार के खिलाफ लगाए गए निंदनीय आरोपों पर भी गौर किया, जो याचिकाकर्ता के प्रतिशोध के उनके आरोप को मजबूत करेगा।

(एफ) उच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर गौर किया है, जिसमें यह सिद्धांत दिया गया है कि भरण-पोषण के कानून समर्थन देने

वाले हैं, लेकिन समृद्ध करने वाले नहीं; भुगतान अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता।

(छ) पत्नी से भी अपेक्षा की जाती है कि वह काम और कमाई में कम से कम कुछ प्रयास दिखाकर अपने नुकसान को कम करे।

(ज) भरण-पोषण विवाह के कार्यकाल के अनुसार होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बच्चों के साथ लंबी अवधि के विवाह या यहां तक कि समय के दीर्घकालिक निवेश के साथ, कमाई की हानि आदि की गणना मौद्रिक रूप से की जा सकती है, लेकिन 4 दिन की नहीं। शादी के परिणामस्वरूप 15 साल तक मुकदमा चला, जो प्रतिशोध की इच्छा और परेशान करने के इरादे से प्रेरित था।

8. हमने अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मालविका राजकोटिया को सुना है।

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एकमात्र प्रश्न प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को देय मासिक रखरखाव राशि की मात्रा के बारे में है। उसमें, फैमिली कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि प्रतिवादी ने 28 जनवरी, 2015 के अपने फैसले में दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के लिए, अपीलकर्ता का भरण-पोषण करने की उपेक्षा की है। इस तथ्य की खोज को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के माध्यम से बरकरार रखा है। फैमिली कोर्ट ने यह भी तथ्य के रूप में पाया है कि अपीलकर्ता बेरोजगार थी, हालांकि वह अंग्रेजी में एमए है और पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखती है और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित लॉ ग्रेजुएट भी है। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उस निष्कर्ष को परेशान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से पाया है कि, कानून में, प्रतिवादी अपीलकर्ता का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य था।

10. हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी के भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के दायित्व को केवल 17 जुलाई, 2003 और 8 दिसंबर, 2010 के बीच सीमित कर दिया, जो कि उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को 9% दिसंबर, 2010 के बाद भी अपीलकर्ता को मासिक रखरखाव राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, लेकिन राशि को 9,000/- रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया।

11. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि अपीलकर्ता अपना भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन यह पाते हुए कि प्रतिवादी बेरोजगार थी और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, उसने भरण-पोषण राशि को 9,000/- रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया। हालाँकि, यह पाते हुए कि प्रतिवादी सुशिक्षित और सक्षम व्यक्ति था, उच्च न्यायालय ने माना कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी अपनी बेरोजगारी या उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं होने के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि प्रतिवादी 2010 से कनाडा से लौटने के बाद अपने मामलों का प्रबंधन कैसे कर पा रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उसकी (प्रतिवादी की) न्यूनतम आय 18,332 रुपये तक पहुंचने के लिए काल्पनिक आय के आधार को लागू किया। . /- दिल्ली में वर्तमान न्यूनतम वेतन के अनुसार, केंटुकी विश्वविद्यालय, यूएसए से बी.कॉम., एमए (इको.) और एमबीए की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के रूप में, और उस आधार पर, प्रतिवादी को 9,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को 9% दिसंबर, 2010 से अगले आदेश तक प्रति माह।

12. अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शुरू की गई कार्यवाही जिस तरह से 2003 से आगे बढ़ी है, उसमें बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है। 16% जुलाई, 2003 को अपीलकर्ता द्वारा दायर रखरखाव आवेदन की लंबितता के दौरान, प्रतिवादी के पिता ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिसका अपीलकर्ता के अनुसार, आदेश के निष्पादन से प्रतिवादी की पारिवारिक संपत्ति की कुर्की को रोकना था। भरण-पोषण की कार्यवाही में उसका पक्ष पारित हो गया। प्रतिवादी के पिता द्वारा दायर घोषणा के मुकदमे को पूर्ण सुनवाई के बाद 30™ अगस्त, 2003 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अंतरिम रखरखाव मामले में भूमि/पारिवारिक संपत्ति की कुर्की को रोकने के लिए, उन्होंने मुकदमे की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर, 2004 को पारित निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद, जो प्रतिवादी के खिलाफ चल रहा था, उसने कनाडा में अदालतों का दरवाजा खटखटाया और कथित तौर पर भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के दायित्व से बचने के लिए एक पक्षीय तलाक प्राप्त किया। विषय भरण-पोषण की कार्यवाही की प्रगति में देरी की रणनीति भी अपनाई। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया यह पाते हुए कि प्रतिवादी का मासिक वेतन, भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से 25,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया। वर्ष 2003 में कनाडा में अर्जित आय 1 लाख रुपये से अधिक थी। इस मुद्दे को अंततः इस न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2014 के आदेश के माध्यम से यह

देखते हुए हल किया कि यदि अपीलकर्ता को रुपये की राशि दी जाती है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नवंबर, 2014 से शुरू होकर अंतरिम भरण-पोषण के रूप में .20,000/- प्रति माह। यह अंतरिम व्यवस्था परिवार न्यायालय द्वारा भरण-पोषण याचिका के अंतिम निपटान तक जारी रखी गई थी।

13. जो भी हो, उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा और अपीलकर्ता को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने में असमर्थता के बारे में प्रतिवादी की दलील को उचित रूप से खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि वह अच्छी तरह से शिक्षित और एक सक्षम व्यक्ति था। इसलिए, प्रतिवादी के लिए यह खुला नहीं था कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त हो जाए। आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक भाग का विज्ञापन करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

> "79. जिरह के दौरान प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसने भी केंटकी विश्वविद्यालय, यूएसए से बी.कॉम, एम.ए. (इको.) और एमबीए किया है; प्रतिवादी एक कनाडाई नागरिक है जो स्प्रिंट कनाडा के साथ काम करता है और शुद्ध वार्षिक वेतन के रूप में 29,306.59 कनाडाई डॉलर कमाता है। हालाँकि, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 23.11.2010 को स्प्रिंट कनाडा से इस्तीफा दे दिया है और इसे 27.11.2010 को स्वीकार कर लिया गया है और प्रतिवादी तब से बेरोजगार है और उसके पास अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।
>
> 80. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने भरण-पोषण की मंजूरी के लिए सीआरपीसी, 1973 की धारा 125 के तहत मामला दायर किया है क्योंकि वह अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई कौशल और विशेष कार्य नहीं जानती है, यानी अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण याचिका के पैराग्राफ 26 में। हालाँकि, प्रतिवादी पति, जो सुशिक्षित है और बेहद सम्मानित परिवार से आता है, इस बात से इनकार करता है। प्रतिवादी पति ने अपने लिखित बयान में यह दलील नहीं दी है कि वह सक्षम व्यक्ति नहीं है और न ही वह याचिकाकर्ता की पर्याप्त कमाई या आय साबित करने में सक्षम है।
>
> 81. रिकॉर्ड में यह स्वीकृत तथ्य सामने आया है कि दोनों पक्षों ने 24.03.2002 को हिंदू अधिकारों और रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी और तब से याचिकाकर्ता 10.08.2002 से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी, और माता-पिता किसी भी कानूनी दायित्व के तहत नहीं हैं। एक विवाहित

बेटी का भरण-पोषण करना, जिसका पति कनाडा में रह रहा हो और उसके पास कनाडाई नागरिकता हो। प्रतिवादी की यह दलील कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह पत्नी का भरण-पोषण नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं है क्योंकि वह परिपक्व और सक्षम शरीर वाला व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य और शरीर अच्छा है और वह अपनी क्षमता के आधार पर पर्याप्त कमाई कर सकता है। अपनी पत्नी के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा **चंद्र प्रकाश बनाम श्रीमती शिला रानी, एआईआर 1968 डेल 174** में की गई टिप्पणी प्रासंगिक है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"7....एक सक्षम युवक को पर्याप्त धन कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चे का उचित रूप से भरण-पोषण कर सके और उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह पर्याप्त धन कमाने की स्थिति में नहीं है पारिवारिक मानक के अनुसार उनका भरण-पोषण करने में सक्षम होना। ऐसे सक्षम व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायालय को यह मानने के लिए ठोस आधार दिखाए कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से, भरण-पोषण के अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ है उसकी पत्नी और बच्चा।"

82.पति एक सक्षम व्यक्ति होने के नाते अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, जो वैवाहिक स्थिति से उत्पन्न व्यक्तिगत कानून के तहत अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और संविदात्मक दायित्व के तहत नहीं है। **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना, एआईआर 2014 एससी 2875** में शीर्ष न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी प्रासंगिक है: -

"3...यह स्पष्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता™) की धारा 125 की कल्पना उस महिला की पीड़ा, पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी, जिसने दिए गए कारणों से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था प्रावधान में ताकि अदालत द्वारा कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके और वह अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सके यदि वे उसके साथ हैं। जीविका की अवधारणा का मतलब यह नहीं है कि एक जानवर का जीवन जीना, एक अव्यक्ति की तरह महसूस करना जिसे अनुग्रह से दूर फेंक दिया जाए और अपने बुनियादी भरण-पोषण के लिए कहीं और भटकना पड़े। कानून में वह उसी तरह जीवन जीने की हकदार है जैसे वह अपने पति के घर में

रहती। यहीं पर स्थिति और स्तर काम में आते हैं, और यहीं पर पत्नी के मामले में पति के दायित्व प्रमुख हो जाते हैं। इस प्रकृति की कार्यवाही में, पति उसे सम्मान के साथ जीने के लाभ से वंचित करने के लिए छल नहीं कर सकता। विवाह के समय गंभीर प्रतिज्ञा के संबंध में और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक कानून के अनुरूप, यह देखना पति का दायित्व है कि पत्नी निराश्रित, भिखारी न बने। ऐसी स्थिति दुर्भावनापूर्ण ढंग से निर्मित नहीं की जानी चाहिए जहां वह अपने भाग्य से इस्तीफा देने और जीवन को "धूल में मिलाने" के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. वास्तव में, यदि पति सक्षम है तो उसे शारीरिक श्रम से धन कमाने की आवश्यकता होने पर भी वित्तीय सहायता प्रदान करना पवित्र कर्तव्य है। बचने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि अदालत से यह आदेश न हो कि पत्नी किसी भी कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार पर पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

(जोर दिया गया)

83.प्रतिवादी की केवल यह दलील कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ अच्छे शरीर की उपस्थिति में अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के अपने नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाती।

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अप्राप्य है। दरअसल, प्रतिवादी ने इस अपील में दायर जवाबी हलफनामे में उक्त दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए एक याचिका उठाई है, लेकिन हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष असाधारण है।

14. एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि की मात्रा न्यायसंगत एवं उचित है। इस प्रश्न के संबंध में चर्चा को केवल आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 84 में खोजा जा सकता है जो इस प्रकार है:

“84. अब तक, भरण-पोषण की मात्रा का संबंध है, 2010 के बाद प्रतिवादी द्वारा अर्जित की जा रही विशिष्ट राशि को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी सुसंगत नहीं उभर रहा है, हालांकि पति एक सम्मानजनक परिवार की स्थिति के अनुसार अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। वह संबंधित है. पति सक्षम होने के साथ-साथ उच्च योग्यता बी.कॉम, एम.ए. (इको) और केंटुकी विश्वविद्यालय, यूएसए से एमबीए करने

के कारण कम से कम रु. कमा सकता था। दिल्ली में वर्तमान न्यूनतम वेतन के अनुसार 18,332/- रु. इसलिए, पत्नी होने के नाते याचिकाकर्ता रुपये की हकदार है। 09.12.2010 से अगले आदेश तक 9,000/- प्रति माह।"

15. दिल्ली में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार प्रतिवादी की अनुमानित न्यूनतम आय के आधार पर अपीलकर्ता को देय मासिक रखरखाव राशि के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लागू सिद्धांत, हमारी राय में, अस्थिर है। हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी और उसके परिवार के जीवन स्तर, वर्ष 2003 में दायर भरण-पोषण याचिका के निपटारे को 2015 तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में उसके पिछले आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए; इस तथ्य के साथ कि उसके द्वारा एक फर्जी और निराधार दलील दी गई है कि वह 2010 से बेरोजगार है, इस तथ्य के बावजूद कि वह अत्यधिक योग्य और सक्षम व्यक्ति है; वर्ष 2010 में कनाडा में काम करते समय उनकी मासिक आय 1,77,364/- रुपये से अधिक थी; और इस न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 2347-2349/2014 में प्रथम दृष्टया पाया है कि यदि अपीलकर्ता को 1 नवंबर 2014 से प्रति माह 20,000/- रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिया जाता है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। समय की इस दूरी पर, आज बढ़ती मुद्रास्फीति दर और जीवनयापन सूचकांक की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, हम यह निर्देश देना चाहते हैं कि प्रतिवादी को प्रति माह 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। अपीलकर्ता को जनवरी 2010 से प्रभावी भरण-पोषण राशि और 1 जून, 2018 से अगले आदेश तक 25,000/- रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं।

16. इसलिए, हम प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश के अनुसार निर्धारित बढ़ी हुई रखरखाव राशि का भुगतान अपीलकर्ता को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत में पहले ही जमा की गई/अपीलकर्ता को भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद करें। तारीख। अपीलकर्ता अदालत में प्रतिवादी द्वारा जमा की गई भरण-पोषण राशि, यदि कोई हो, को तुरंत वापस लेने का हकदार होगा। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को तदनुसार उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया गया है।

17. उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है।

दिव्या पांडे अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।